प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामवीर पुत्र श्री मौजी यादव, निवासी जनपद-शाहजहॉपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-36711/प्रो0अनु0(2)-277/2024(बैठक दिनांक 22.11.2024),दिनांक 03.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामवीर पुत्र श्री मौजी यादव, दिउरा, थाना-जलालाबाद, जनपद-शाहजहॉपुर का निवासी है। पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 22.10.2000 को अभियुक्त ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व राईफल से जगदीश व जगतपाल एवं संयोगिता नामक लड़की सहित कुल 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 02 अन्य को घायल कर जगतपाल की चौपाल पर रखे छप्पर में आग लगा दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-376/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 436,148 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-04, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 24.02.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 18.11.2024 तक अपरिहार 24 वर्ष 00 माह 01 दिन तथा सपरिहार 30 वर्ष 07 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 18.11.2024 को बंदी की आयु 54 वर्ष 08 माह है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट शाहजहाँपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97 दिनाक 06.08.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नारकर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2000 कि०एल०जे0 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। (2) बंदी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। (3) बंदी अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है। (4) बंदी द्वारा अग्रिम अपराध कारित करने से रोकने के लिये बंदी को जेल में और आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन है। (5) बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुका नहीं है। तद्नुसार बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 22.10.2000 को अभियुक्त ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व राईफल से जगदीश व जगतपाल एवं संयोगिता नामक लड़की सहित कुल 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं 02 अन्य को घायल कर जगतपाल की चौपाल पर रखे छप्पर में आग लगा दी। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तगत सिद्धदोष बन्दी रामवीर पुत्र मौजी यादव को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामवीर (बन्दी सं0-39138) पुत्र श्री मौजी यादव, निवासी जनपद-शाहजहॉपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1304/2025/2076(1)/22-2-2024 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहॉपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।